

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 23, सोमवार, शाके 1947- जुलाई 14, 2025 Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025	

भाग.1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 09, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4(1))

Rajkaj 16398324 :-माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार बजट घोषणा सं. 14.01.36 एवं 243.25 वर्ष 2024-25 के तहत डीएफसीसीआईएल फ्रैंट टर्मिनल (गति शक्ति कार्गा टर्मिनल) बधाल-इटावा गांव, किशनगढ़ रेनवाल तहसील से एन.एच-52 गोविन्दगढ़ तक जोड़ने हेतु सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य की स्वीकृत 21.900 किमी. लम्बाई की घोषणा की गई थी। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्रीमान मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सानिवि राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक SE(NH)/DFCCIL/2020-21/A&F/SEC-II/2024-25/D1572-73 दिनांक 28.12.2024 राशि रुपये 95.00 करोड की प्राप्त हुई है।

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार बधाल-इटावा गांव, किशनगढ़ रेनवाल तहसील से एन.एच-52 गोविन्दगढ़ तक जोड़ने हेतु सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु 21.900 किमी. लम्बाई में से लगभग 6.00 किमी. में ही भूमि अवाप्ति की जानी है।

ग्राम - हस्तेड़ा व मलिकपुर में भूमि अवाप्ति किये जाने के प्रयोजन से जिला जयपुर में होना है। प्रस्तावित भूमि अवाप्ति में प्रभावित गांव निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिला	तहसील	आरआई	हल्का का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6
1	जयपुर	चौमू	हस्तेड़ा	हस्तेड़ा	हस्तेड़ा
2			गोविन्दगढ़	मलिकपुर	मलिकपुर

विभाग द्वारा ग्राम - हस्तेड़ा व मलिकपुर में डीएफसीसीआईएल फ्रैंट टर्मिनल (गति शक्ति कार्गा टर्मिनल) बधाल-इटावा गांव, किशनगढ़ रेनवाल तहसील से एन.एच-52 गोविन्दगढ़ तक जोड़ने हेतु सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य में भूमि अवाप्ति किये जाने के प्रयोजन से जिला जयपुर में होना है। उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समचित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत, नगर परिषद के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथी से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

मैसर्स थोट कन्सलटैन्ट जयपुर प्रा0लि0,

1 डीए 15, जवाहरनगर

जयपुर-302004

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

अधिशाषी अभियंता,

सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड फुलेरा।

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव(पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।